निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 493) पटना, सोमवार, 26 जून 2023

सं० 27/आरोप–01–53/2020 सा0प्र0–11649
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 जून 2023

श्रीमती राखी कुमारी केशरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 173/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर के विरूद्व वर्ष–2007–08 में इंदिरा आवास योजना के आंवटन में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप पत्र आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल छपरा के पत्रांक–1341, दिनांक–07.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र के आधार पर इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–9719, दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्रीमती केशरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती केशरी का स्पष्टीकरण (दिनांक 20.09.2021) प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा गलत प्रतिवेदन एवं कार्यालय की भूल के कारण गलत व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटन को स्वीकार करते हुए कहा गया कि इसकी जानकारी प्राप्त होते ही श्रीमती केशरी द्वारा तत्परता के साथ वसूली की कार्रवाई की गयी और वैसे लाभुकों को दी गयी राशि की वसूली कर उसे नजारत में जमा कराया गया है।

श्रीमती केशरी के विरूद्व प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती केशरी द्वारा इंदिरा आवास के गलत लाभुकों से राशि की वसूली की गयी है, जिसके कारण राज्य को वित्तीय क्षति नही हुई है, लेकिन गलत लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटित होने में कही न कही इनके द्वारा कर्तव्यगत लापरवाही एवं दायित्वहीनता बरती गयी है और अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षी पदाधिकारियों तथा कार्यालय पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा गया है। इस कर्तव्यगत शिथिलता के लिए श्रीमती केशरी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12414 दिनांक 22.10.2021 द्वारा एक वेतनवृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्रीमती केशरी द्वारा एक पुनर्विलोकन आवेदन (दिनांक 24.04.2023) समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि उनके द्वारा यथासंभव इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक स्थल पर लिखित रूप से प्रदर्शित किया गया था। निष्पक्षता एवं ईमान्दारी से कार्य किया गया तथा कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी। जब उन्हें इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल ही जांच किया गया तथा नियमानुकूल कार्रवाई कर त्रुटि सुधार लिया गया। ससमय लाभुको को सूचना निर्गत कर आवंटित राशि को सरकारी कोष में जमा कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि जो आरोप लगाये गये वह प्रभारी

सहायक, प्रधान सहायक, पंचायत सचिव एवं पर्यवेक्षक के द्वारा लापरवाही एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई थी। लिपिकीय भूल की जांच कर ससमय सुधार कर लिया गया था।

श्रीमती केशरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्रीमती केशरी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि इंदिरा आवास आवंटन में अनियमितता हुई है। आवंटन में अनियमितता के प्रकाश में आते ही गलत लाभुको से राशि की वसूली की गयी, जिससे वित्तीय क्षति नहीं हुई। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि वरीय पदाधिकारी होने के नाते पदीय कर्तव्य निर्वहन में श्रीमती केशरी द्वारा लापरवाही बरती गयी है। समीक्षोपरान्त श्रीमती केशरी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथासंशोधित के नियम–14 के अन्तर्गत **एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।**

अतएव श्रीमती राखी कुमारी केशरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 173/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथासंशोधित के नियम–14 के अन्तर्गत **एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड को यथावत रखा जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 493-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in